भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3523

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पीएम-एबीएचआईएम कार्यक्रम का विस्तार

3523. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना (पीएम-एबीएच आईएम) के भाग के रूप में चलाए जा रहे ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी), ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों और एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) के लिए निर्धारित लक्ष्य के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम को अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्यों से आगे आन्ध्र प्रदेश के बापतला सहित अन्य पिछड़े क्षेत्रों तक विस्तारित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ख): प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटकों (सीएस) के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसका योजना अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए परिव्यय 64,180 करोड़ रुपये है।

इस योजना में स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी और जन स्वास्थ्य कार्रवाई को एकीकृत और सुदृढ़ करने के लिए सुधारों की एक नई पीढ़ी की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत उपायों का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों को सुदृढ़ करना है ताकि सभी स्तरों, अर्थात् प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट, पर देखभाल की निरंतरता प्रदान की जा सके, साथ ही वर्तमान और भविष्य की महामारियों और आपदाओं का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार किया जा सके।

योजना के सीएसएस घटकों के अंतर्गत, निम्नलिखित पाँच कार्यकलाप हैं जिनके लिए योजना अवधि (2021-2026) के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है:

- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के रूप में जाना जाता है, के रूप में 17,788 भवन रहित उप-केंद्रों का निर्माण
- शहरी क्षेत्रों में 11,024 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों, जिन्हें अब एएएम कहा जाएगा, की स्थापना जिसमें झुग्गी-झोपड़ी और झुग्गी-झोपड़ी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- ब्लॉक स्तर पर 3382 **ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू)** की स्थापना।
- देश में 730 जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना, जिसमें प्रत्येक जिले में एक ऐसी प्रयोगशाला होगी।
- 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में 602 क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित करना।

पीएम-एबीएचआईएम सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक अवसंरचना विकास योजना है जिसे संबंधित सरकारों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। वर्तमान में, स्वास्थ्य सुविधाकेन्द्रों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और निविदाएं जारी करने, निविदा को अंतिम रूप देने, योजना के तहत अनुमोदित सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्य आवंटन किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के लिए 4624.01 करोड़ रुपये की लागत से 9594 भवनरहित एएएम (उप-केंद्र - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र), 2013.55 करोड़ रुपये की लागत से 3051 शहरी-एएएम (एचडब्ल्यूसी), 1300.18 करोड़ रुपये की लागत से 1324 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), 898.56 करोड़ रुपये की लागत से 504 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 11614.71 करोड़ रुपये की लागत से 395 गहन परिचर्या अस्पताल ब्लॉक (सीसीबी) के लिए अनुमोदन दिया गया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 20451.31 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया है।

पीएम-एबीएचआईएम योजना को आंध्र प्रदेश राज्य सहित उच्च फोकस वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में भी लागू किया गया है और आंध्र प्रदेश को राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार पांच वर्षों (यानी वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26) के लिए 1786 भवनरहित-एएएम (उप-केंद्र - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र), **45 यू-एएएम** (एचडब्ल्यूसी), **26 आईपीएचएल** और **24 सीसीबी** के निर्माण / सुदृढ़ीकरण के लिए **1271.80 करोड़ रुपये** की राशि का प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

*****